

मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल

सीमित निविदा सूचना


दिनांक: 01/09/2015

माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में आगामी एक वर्ष हेतु न्यायालय परिसर में स्थित जलपान कैंटिन के आवंटन हेतु मोहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। इच्छुक निविदा दाता निर्धारित निविदा-प्रपत्र तथा समस्त शर्तों, नजारत अनुभाग से किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त कर सकते हैं। समस्त सूचनाएँ हमारी वेबसाइट www.highcourtofuttarakhand.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। बन्द निविदाएं 15/09/2015 तक या उससे पूर्व दोपहर 3:00 बजे तक महानिबन्धक महोदय के कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए। निविदाएं उसी दिन दोपहर 3:30 बजे अधोहस्ताक्षरी/अधिकृत अधिकारी के समक्ष खोली जाएंगी।

ह0/-
महानिबन्धक
उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल

प्रतिलिपि निम्न को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने नोटिस बोर्ड पर इसे वृहद् प्रचार हेतु चस्पा करें:-

1. जिला न्यायाधीश, नैनीताल।
2. आयुक्त, कुमांऊ मण्डल, नैनीताल।
3. जिलाधिकारी, नैनीताल।
4. जिलासूचना अधिकारी, नैनीताल।
5. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नैनीताल।
6. अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम, हल्द्वानी।
7. लोक निर्माण विभाग, उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल।
8. होटल तथा रेस्टोरेन्ट एसोशिएसन, नैनीताल।
9. न्यायालय के नोटिस बोर्ड एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा करने हेतु।


व्यवस्थाधिकारी

मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल

सीमित निविदा सूचना

माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में आगामी एक वर्ष हेतु न्यायालय परिसर में स्थित जलपान कैंन्टिन के आवंटन हेतु मोहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। इच्छुक निविदा दाता निर्धारित निविदा-प्रपत्र तथा समस्त शर्तें, नजारत अनुभाग से किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त कर सकते हैं। समस्त सूचनाएँ हमारी वेबसाइट www.highcourtofuttarakhand.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। बन्द निविदाएं 15/09/2015 तक या उससे पूर्व दोपहर 3:00 बजे तक महानिबन्धक महोदय के कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए। निविदाएं उसी दिन दोपहर 3:30 बजे अधोहस्ताक्षरी/अधिकृत अधिकारी के समक्ष खोली जाएंगी।

शर्तें:

1. निविदायें (केवल इस कार्यालय द्वारा जारी प्रपत्र पर ही) निविदा फार्म की शर्तों जिनका उल्लेख इस फार्म में किया जा रहा है, के अनुसार भरी जानी चाहिए तथा निविदा दाता को निविदा में निहित शर्तों की सहमति पर अपने हस्ताक्षर अंकित करने होंगे अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जाएगी।
2. निविदा प्रपत्र मा0 न्यायालय के नजारत अनुभाग से प्राप्त किया जा सकता है अथवा मा0 न्यायालय की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र अहस्तान्तरणीय होगा।
3. निविदा प्रपत्र का मूल्य रु.200/- है जिसके हेतु इतने ही मूल्य का डिमान्ड ड्राफ्ट (पृथक) जमा करना होगा।
4. निविदा प्रपत्र के साथ किसी प्रतिष्ठित संस्थान में कैंन्टिन को एक वर्ष तक सफलतापूर्वक चलाने का प्रमाण पत्र जमा करना होगा अन्यथा निविदा निरस्त मानी जाएगी।
5. जलपान कैंन्टिन हेतु आवंटन का निर्धारित न्यूनतम मूल्य रु.1,50,000/- (एक लाख पचास हजार मात्र) है।
6. किसी भी परिस्थिति में अपराधिक छवि वाले व्यक्ति को कैंन्टिन का आवंटन नहीं किया जाएगा।
7. कैंन्टिन आवंटनी को प्रत्येक दिन स्वयं कैंन्टिन में उपस्थित रहना होगा। यदि किसी भी समय ऐसा प्रतीत होता है कि कैंन्टिन आवंटनी अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति (sub-contractor) से कैंन्टिन का संचालन करा रहा है तो आवंटनी का आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा और आवंटनी की धरोहर धनराशि जब्त कर ली जाएगी।
8. कैंन्टिन को प्रत्येक कार्यदिवस में निम्न प्रकार से खोलना अनिवार्य होगा:-
 - i. 16 मार्च से 15 नवम्बर तक: प्रातः 8:00 बजे से सांयकाल 8:00 बजे तक
 - ii. 16 नवम्बर से 15 मार्च तक: प्रातः 9:00 बजे से सांयकाल 7:00 बजे तक।
9. प्रत्येक निविदा दाता द्वारा कैंन्टिन में उपलब्ध कराए जाने वाले सामान की सूची निविदा के साथ संलग्न करनी होगी।
10. कैंन्टिन का आवंटन करते समय गुणवत्ता, अनुभव एवं उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं एवं सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
11. आवंटन के मामले में न्यूनतम बोली का कोई प्रावधान नहीं है अपितु उच्चतम बोली का प्रावधान है।
12. निविदा प्रपत्र में भरी गई बोली/मूल्य में कोई काट-छॉट नहीं होनी चाहिए। यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन करना आवश्यक हो तो साफ तरीके से किया जाना चाहिए तथा परिवर्तन पर हस्ताक्षर व दिनांक का उल्लेख होना चाहिए।
13. किसी भी निविदा को स्वीकृत करने अथवा बिना कारण बताये उसे निरस्त करने तथा निविदा की तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, नैनीताल का होगा।
14. माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड द्वारा स्वीकार की गयी निविदा के बाद किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी।

15. निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी और निविदा कर्ता के बीच यह निविदा प्रपत्र स्वतः एक अनुबन्ध के रूप में परिवर्तित हो जायेगा तथा निविदा दाता इस प्रपत्र में उल्लिखित सभी शर्तों के अनुरूप कार्य करने के लिए बाध्य होगा।
16. निविदा दाता को निविदा प्रपत्र के साथ रु.20,000/- की बैंक गारन्टी/एफ.डी.आर./डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि महानिबन्धक, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के पक्ष में नैनीताल में देय हो, धरोहर राशि के रूप में जमा करना होगी। किसी भी दशा में धरोहर राशि के बिना निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। जिनकी निविदा स्वीकृत नहीं होंगी उनकी धरोहर राशि, एक माह के भीतर लौटा दी जायेगी। लेकिन निविदा स्वीकृत होने की दशा में उक्त धरोहर राशि (सामान्य परिस्थितियों में) निविदा अवधि के पूर्ण होने पर वापस की जायेगी।
17. निविदा की शर्तों का उल्लंघन करने पर महानिबन्धक, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल को यह अधिकार होगा कि वह धरोहर राशि को जब्त करते हुए निविदा अनुबन्ध को निरस्त कर फर्म को काली सूची में अंकित करने हेतु कार्यवाई करे।
18. दो अथवा ज्यादा निविदा दाताओं द्वारा समान बोली भरे जाने की स्थिति में किसी एक निविदा दाता की निविदा स्वीकृत करने का अधिकार महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, नैनीताल को होगा।
19. आवंटित भवन केवल जलपान कैंन्टिन के लिए इस्तेमाल में लाया जायेगा। इसमें चाय, काफी, दूध, लस्सी, नमकीन, बेकरी का सामान, अण्डा, व उससे तैयार अन्य सामान, सॉफ्ट ड्रिंक्स, शाकाहारी नाश्ता तथा भोजन इत्यादि बेचा जायेगा। उल्लिखित सामान के अतिरिक्त अन्य कोई सामान माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल की पूर्व अनुमति के बिना नहीं बेचेगा।
20. निम्नलिखित सामग्री रोजाना कैंन्टिन के खुलने के समय उपलब्ध करानी आवश्यक होंगी:-
 - i. चाय: रेगुलर, मसाला, ग्रीन, लेमन (चायपत्ती: अच्छी क्वालिटी तथा स्टैन्डर्ड कम्पनी की)
 - ii. कॉफी: नैस्कैफे/ब्रू
 - iii. दूध
 - iv. कोल्ड-ड्रिंक: सभी किस्म की
 - v. बिस्किट: नमकीन तथा मीठे (प्रतिष्ठित कम्पनी की जैसे ब्रिटैनिया, सनफीस्ट, पारले, प्रियागोल्ड)
 - vi. नमकीन: विभिन्न किस्म की (जैसे हल्दीराम, बीकानेर, आदर्श)
 - vii. चिप्स तथा अन्य पैकेज्ड नाश्ता: लेयज, अंकल चिप्स, आई.टी.सी., पेप्सी
 - viii. केक फ्रूट तथा चोकलेट्स: ब्रिटैनिया।
21. उपरोक्त सामग्री तथा अन्य खाद्य पदार्थों के मूल्य निविदा के साथ संलग्न करने होंगे।
22. रोजाना खाना बनाने का प्लान भी निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
23. आवंटी कैंन्टिन में वस्तुएं औसत बाजार भाव के अनुसार बेचेगा तथा न्यायालय के कर्मचारियों को चाय व अन्य सामग्री सामान्य दरों से 25 प्रतिशत कम दर पर उपलब्ध करायेंगा।
24. आवंटी को बेचे जाने वाले सामान तथा उनकी कीमतों की सूची को पठनीय भाषा में कैंन्टिन के अन्दर टांगनी होगा। ऐसी ही एक सूची व्यवस्थाधिकारी के पास प्रथम बार तथा सामग्री की कीमत बढ़ाने के समय हर बार जमा करेगा।
25. कैंन्टिन के अन्दर तथा बाहर गन्दगी नहीं होनी चाहिए। कुकिंग की जगह, काउन्टर, कैंन्टिन हॉल, फर्श, बैन्च, मेज, कुर्सी, खिड़की, दरवाजा इत्यादि समय-समय पर साफ की जानी चाहिए। बिक्री के लिए रखा गया सामान साफ व ताजा होना चाहिए। वस्तुओं को ढकने का प्रबन्ध किया जायेगा, ताकि मक्खियों व धूल से उसे बचाया जा सके।
26. ऐसी वस्तुएं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हों जैसे शराब, सिगरेट, पान मसाला, गुटका, तम्बाकू इत्यादि, उनका न तो भण्डारण करेगा न ही बेचेगा।
27. आवंटी प्लास्टिक के गिलास, प्लेट इत्यादि का इस्तेमाल नहीं करेगा। पेपर गिलास/कप का इस्तेमाल किया जा सकता है।
28. आवंटी द्वारा विक्रय की जाने वाले वस्तुओं का औचक निरीक्षण किसी भी समय किया जा सकता है। निरीक्षण न्यायालय द्वारा निर्देशित व्यक्ति द्वारा किया जा सकेगा जिसे अशुद्ध वस्तुओं की बिक्री रोकने

- व हटाने का आदेश देने का अधिकार होगा। यदि आवंटी ऐसे वस्तुओं की बिक्री जारी रखता है तो उसका आवंटन निरस्त किया जा सकता है और उसे किराया पूरे वर्ष का देना होगा।
29. आवंटन की अवधि की समाप्ति पर आवंटी किसी प्रकार की मरम्मत निर्माण हेतु खर्च की माँग नहीं करेगा।
 30. आवंटन के समय कैंन्टिन में माननीय न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराए गए समस्त सामान (बल्ब, ट्यूब लाइट, सी.एफ.एल., स्वीच इत्यादि) की लिस्ट दी जाएगी। आवंटन समाप्ति अथवा निरस्त होने के समय उक्त समस्त सामान पहले की स्थिति में वापस जमा करना होगा। ऐसा ना करने की स्थिति में आवंटी द्वारा जमा की गई जमानत राशि में से काट लिया जाएगा।
 31. कैंन्टिन में बैठने के लिए प्रयुक्त होने वाली मेज-कुर्सी (कम से कम 12 मेज 04 कुर्सी प्रत्येक के साथ) इत्यादि की व्यवस्था तथा कैंन्टिन के भोजन सामग्री को बनाने में काम आने वाले उपकरण गैस, चूल्हा, माइक्रोवेव, फ्रिज, टोस्टर, स्टैन्डर्ड होटल वेयर क्रॉकरी इत्यादि की व्यवस्था आवंटी को स्वयं करनी होगी।
 32. कैंन्टिन के उपयोग के लिए बिजली तथा पानी की व्यवस्था आवंटी स्वयं करेगा और उसका व्यय भी स्वयं वहन करेगा। प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर मा० न्यायालय के बिजली तथा पानी के कनेक्शनों में सब-मीटर लगाकर उपभोग करने तथा भुगतान ट्रेजरी चालान द्वारा जमा करने की अनुमति देने पर मा० न्यायालय द्वारा विचार किया जा सकता है।
 33. आवंटी को कैंन्टिन के सुचारु संचालन हेतु निम्न शर्तों का पालन करना होगा:—
 - i. प्रर्याप्त संख्या में कुशल/अर्द्ध-कुशल व्यक्तियों की नियुक्ति करेगा तथा उनके वेतन का भार स्वयं उठाएगा।
 - ii. नियुक्त किए गए व्यक्ति 14 वर्ष से बड़े, स्वच्छ, अच्छे स्वास्थ्य वाले होना चाहिए जिनको कोई लगने/फैलने वाली बीमारी ना हो।
 - iii. नियुक्त किए गए व्यक्तियों द्वारा स्वच्छ एवं सादगी वाले कपड़े पहने जाएंगे।
 - iv. नियुक्त किए गए व्यक्तियों की उम्र, स्थाई पता तथा पुलिस वेरिफिकेशन से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र जमा करने होंगे।
 - v. नियुक्त किए गए व्यक्तियों का व्यवहार अच्छा होना चाहिए तथा उन्हें किसी अवैधानिक कार्य में सम्मिलित नहीं पाया जाना चाहिए।
 34. आवंटी को किसी अन्य कमरे/भवन में स्थानांतरित भी किया जा सकता है जो उपरोक्त शर्तों के अधीन होगा और आवंटी उनका पूर्ववत् पालन करेगा, जब तक कि उसका आवंटन समाप्त नहीं हो जाता।
 35. कैंन्टिन को आवास के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।
 36. आवंटी उक्त भवन को किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी प्रकार से किराये पर नहीं देगा और न कोई असामाजिक अथवा अवैधानिक कार्य होने देगा।
 37. आवंटन न्यायालय द्वारा तीन दिन के नोटिस पर समाप्त किया जा सकता है। आवंटन निरस्त होने की तिथि के 24 घण्टे के अन्दर भवन को खाली करना होगा।
 38. अगर नगरपालिका कोई कर लगाती है तो आवंटी को उसका भुगतान करना होगा। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधि० व अन्य किसी वांछित लाइसेंस की व्यवस्था आवंटी को स्वयं करनी होगी तथा उसके लिये मा० उच्च न्यायालय जिम्मेदार नहीं होगा।
 39. आवंटी द्वारा उक्त आवंटित भवन की लाइसेंस फीस को भुगतान उसके द्वारा लगाई गई बोली चौथाई-चौथाई हिस्सों में चार किस्तों में निम्न प्रकार करना होगा:—
 - i. प्रथम किस्त :- कैंन्टिन आवंटन की तिथि (सांय 4 बजे तक)
 - ii. द्वितीय किस्त :- कैंन्टिन आवंटन की तिथि के तीन माह बाद की तिथि (सांय 4 बजे तक)
 - iii. तृतीय किस्त :- कैंन्टिन आवंटन की तिथि के छः माह बाद की तिथि (सांय 4 बजे तक)


- iv. चतुर्थ किस्त :- कैन्टिन आवंटन की तिथि के नौ माह बाद की तिथि (सांय 4 बजे तक)।
40. यदि आवंटी द्वारा किसी भी शर्त या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किसी निर्देश का पालन नहीं किया जाता है तो आवंटी का आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा और आवंटी की धरोहर धनराशि जब्त कर ली जाएगी।
41. कोई भी इच्छुक निविदा दाता उच्च न्यायालय के महानिबन्धक या अन्य किसी निबन्धक से किसी भी प्रकार से सम्पर्क नहीं करेगा।
42. निविदा के सम्बन्ध में किसी भी कानूनी विवाद का अधिकार क्षेत्र नैनीताल स्थित सक्षम न्यायालय होगा।
43. निविदादाता निविदा के साथ निम्न प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे:-
- निर्धारित धरोहर धनराशि रु.20,000/- की बैंक गारन्टी/एफ.डी.आर./डिमाण्ड ड्राफ्ट
 - किसी अन्य प्रतिष्ठित संस्थान में कैन्टिन को एक वर्ष तक सफलतापूर्वक चलाने का प्रमाण पत्र
 - कैन्टिन अथवा रेस्टोरैन्ट चलाने हेतु सम्बन्धित सरकारी कार्यालय द्वारा जारी प्रमाण-पत्र
 - निविदा प्रपत्र की फीस हेतु रु.200/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट (पृथक)।

ह0/-
महानिबन्धक
माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल

निर्धारित न्यूनतम/सुरक्षित मूल्य:- रु.1,50,000/-

निविदा के लिए डाला गया मूल्य/बोली:- रु0(अंको में)
(शब्दों में

हस्ताक्षर :-
निविदा भरने वाले का नाम :-
पिता का नाम :-
पूर्ण पता :-
.....
फर्म की मोहर
दिनांक :-
फोन नं० तथा अन्य विवरण :-
.....



44. निविदा प्रपत्र में लिखित समस्त शर्तें हमें मान्य हैं।
45. हमने सभी शर्तें पढ़ ली हैं तथा मैं निविदा शर्तों का अनुपालन करूँगा/करूँगी।

हस्ताक्षर :-